संख्या-96/2016/2060/सैंतीस-2-2016-20(59)/08टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी लखनऊ,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-245/सा0-1/एक्स-120(188)/जि.यो./2015-16, दिनांक-17.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/''द'' श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 'द' श्रेणी पशु औषधालय मोहारीकला, विकासखण्ड-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अद्यतन आंकलित मानकीकृत लागत के अनुसार रू0-10.75 लाख (रूपये दस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. 'द' श्रेणी पशु औषधालय मोहारीकला, विकासखण्ड-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ के भवन निर्माण हेतु ''उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ'' कार्यदायी संस्था होगी।
2. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य अधिकतम 06 माह की अवधि में पूर्ण कराया जायेगा। यदि निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का यह दायित्व होगा कि वे कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें।
3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित कर लिया जायेगा और तद्नुसार जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करा लिया जायेगा।
4. निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/"द" श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-96/2016/2060(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।